उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-03/2019/38/92-2-19-10(जॉच)/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 04 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम कोपा, विकास खण्ड-मऊ (चित्रकूट) में के0सी0 ड्रेन व सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट की जांच आख्या दिनांक 06.09.2016 के अनुसार रू0 2,56,333.00 की शासकीय क्षति हेतु जनपद चित्रकूट में तैनाती के दौरान की गयी अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2017/09/92-2-2017-10जांच/2016, दिनांक 04.01.2017 द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित कर निलम्बन अवधि में कायार्लय मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी क्षेत्र), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-110/92-2-2017-10(जांच)/2016, दिनांक 01.02.2017 द्वारा श्री बालकृष्ण के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या 01 माह मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-गोरखपुर की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 19.04.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 09.05.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-122/2017/31अ0मु0स0/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 21.07.2017 के द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ. को तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्यहित में बहाल किया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2,56,333.00 में से अपचारी अधिकारी के अंश रू0 4045.00 की वसूली श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट से करते हुये एक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोके जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चिय किया गया। तत्पश्चात अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर पत्र दिनांक 16.06.2017 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 07.07.2017 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5- मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 28.07.2017 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड "अनुशासनिक कार्यवाही में परिलक्षित शासकीय क्षति मूल्य रू0 2,56,333.00 में से अपचारी अधिकारी के अंश रू0 4045.00 की वसूली उनसे करते हुये उनकी एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोके जाने" पर सहमति व्यक्त की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2017/09/92-2-2017-10जांच/2016, दिनांक 04.01.2017 द्वारा श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-164/2017 /1474/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 13.09.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी:-

"अनुशासनिक कार्यवाही में परिलक्षित शासकीय क्षति मूल्य रू0 2,56,333.00 में से अपचारी अधिकारी के अंश रू0 4045.00 की वसूली उनसे करते हुये उनकी एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकी जाए।"

7- इस प्रकार शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.09.2017 द्वारा पारित दण्डादेश के क्रम में प्राप्त अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण का प्रत्यावेदन दिनांक 13.09.2018 तथा अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री बालकृष्ण द्वारा अपने प्रत्यावेदन में कोई नवीन तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गयें हैं। अत: श्री बालकृष्ण का प्रत्यावेदन दिनांक 13.09.2018 बलहीन होने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-164/2017/1474/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 13.09.2017 द्वारा पारित दण्डादेश जिसमें एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोके जाने के आदेश थे, को समाप्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

अतएव श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति प्रखण्ड बिजनौर के प्रत्यावेदन दिनांक 13.09.2018 को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए निस्तरित किया जाताहै।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-03/2019/38(1)/92-2-2019तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री बालकृष्ण, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति प्रखण्ड बिजनौर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।